न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी : प्रभुदयाल शर्मा, आर0ए0एस0
प्रार्थना पत्र सं0 28 / 18
निर्णय दिनांक : 22.06.2018

1. बिरदीचन्द
2. हरिनारायण

समस्त पुत्रान भैरू जाति गुर्जर नि0 बाघपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1. हीरादेवी पत्नि सीताराम
2. पेमाराम पुत्र सीताराम
3. शंकरलाल पुत्र सीताराम

समस्त जाति जाट नि0 बाघपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

4. दानाराम पुत्र मूलचन्द
5. रामू पुत्र मूलचन्द
6. देवाराम पुत्र मूलचन्द
7. लक्ष्मण पुत्र मूलचन्द
8. रूपनारायण पुत्र मूलचन्द
9. बन्नाराम पुत्र नारायण
10. सुवाराम पुत्र नारायण
11. सुरजकरण पुत्र नारायण
12. हरजीराम पुत्र नारायण
13. गोगराज पुत्र नारायण

समस्त जाति गुर्जर नि0 बाघपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

14. तहसीलदार तहसील फुलेरा जिला जयपुर राज0

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 / 136 भू0राजस्व अधिनियम

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि खाता सं0 58 की आराजी खं0नं0 384 / 224 रकबा 5 बीघा 4 विस्वा वाकै ग्राम बाघपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर

अधिकारी
लेक

Scanned by CamScanner

0 में स्थित है। जो प्रार्थीगण की संयुक्त कब्जें काश्त व खातेदारी की आराजी है
राजस्व रिकोर्ड में प्रार्थीगण के नाम अंकित है। खाता सं0 134 की आराजी
नं0 383/224 रकबा 2 बीघा वाकै ग्राम बाघपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0
स्थित है जो अप्रार्थी सं0 1 हीरादेवी की कब्जें काश्त व खातेदारी की आराजी है
राजस्व रिकोर्ड में अप्रार्थी सं0 1 के नाम अंकित है। उपरोक्त दोनों खातो की
जीयात का पूर्व मे ही खं0नं0 224 रकबा 7 बीघा 4 विस्वा था जिसके वर्तमान
नं0 383/224 रकबा 2 बीघा व 384/224 रकबा 5 बीघा 4 विस्वा है किन्तु
स्व नक्शें में केवल खं0नं0 224 ही अंकित है। अप्रार्थी सं0 1 लगा0 3 एक ही
वार के सदस्य है मौके पर प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की आराजी खं0नं0
/224 रकबा 5 बीघा 4 विस्वा पर काबिज काश्त है किन्तु राजस्व नक्शें में रकबे
सार तरमीम न होने से व खं0नं0 224 अंकित होने से अप्रार्थी सं0 1 लगा0 3
ा संबंधी विवाद करने लगे जिस पर प्रार्थीगण ने श्रीमान् तहसीलदार जी के
श से दिनांक 23.06.14 को सीमाज्ञान कराया किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा न मानने पर
ान् उपखण्ड अधिकारी संभर के यहा प्रकरण सं0 125/14 उनवानी बिरदीचन्द
बनाम राज0 सरकार अ0 धारा 111, 128 एल0आर0ऐ0 दायर किया गया जिसमें
ंक 19.06.15 को श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी द्वारा उक्त आराजी खं0नं0
/221 रकबा 5 बीघा 4 विस्वा की पत्थरगढ़ी का आदेश पारित किया गया।
र्थी सं0 4 लगा0 13 आराजी खं0नं0 323 के खातेदार काश्तकार है जो आराजी
ं0 384/224 की सींवजोड़ है अप्रार्थी सं0 4 लगा0 13 भी सींवमेड़ को लेकर
दिन विवाद करते रहते है एवं प्रार्थीगण की खातेदारी का नक्शें में तरमीम न होने
नाजायज फायदा उठाते हुए हैरान परेशान करते रहते है। उक्त आदेशो के
जूद अप्रार्थीगण अपनी हरकतों से बाज नही आये ओर राजस्व नक्शें में खं0नं0
अंकित होने व 384/224, 383/224 का मुताबिक जमाबन्दी में अंकित रकबे
सार नक्शें में पटवारी हल्का द्वारा पेमाईश स्केल द्वारा सही नाप चौंक, सीमाज्ञान
त्थरगढ़ी करने के बावजूद अप्रार्थीगण आयेदिन सीमा सम्बन्धी विवाद करते रहते
व कब्जें कश्त मे बाधा उत्पन्न करते रहते है जिससे प्रार्थीगण को परेशानी का
ना करना पड़ रहा है इसलिए न्यायहित में आराजी खं0नं0 384/224 रकबा 5
ा 4 विस्वा वाकै ग्राम बाघपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर का क्षेत्रफल के अनुसार
ारी हल्का द्वारा पेमाईश स्केल से राजस्व नक्शे में सही नाप किया जाकर लाल
ही से तरमीम किया जाना न्याय संगत है ताकि सही रकबे में तरमीम हो सके।
बाबत अप्रार्थी सं0 14 को आदेश दिया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण ने दिनांक
1.17 को पटवारी हल्का व तहसीलदार से उपरोक्त खं0नं0 224 रकबा 7 बीघा 4
ा व खं0नं0 383/224 रकबा 2 बीघा है का राजस्व नक्शें मे मुताबिक क्षेत्रफल
कारी

Scanned by CamScanner

कबे अनुसार तरमीम कराने को कहा तो संबंधित न्यायालय में कार्यवाही करने की दायत दी अतः यह प्रा0पत्र श्रीमान् की सेवामें पेश करना आवश्यक हुआ।

उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली जस्व लोक अदालत केम्प शार्दुलपुरा में पेश हुयी। पक्षकारान उपस्थित है। हसीलदार फुलेरा ने रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली की गयी। मजमेंआम में ना गया व पत्रावली का अवलोकन कर प्रार्थी का प्रा0पत्र स्वीकार किया जाना यायोचित समझता हूँ।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्व लोक अदालत की भावना से स्वीकार कया जाकर तहसीलदार फुलेरा को आदेश दिये जाते है कि नियम 58 से 68 व 86 जस्थान भू राजस्व अधिनियम 1957 के तहत आराजी खं0नं0 384/224 रकबा 5 बीघा 4 स्वा वाकै ग्राम बाघपुरा प0ह0 शार्दुलपुरा का क्षेत्रफल के अनुसार पेमाईश कर जस्व नक्शें में सही नाप किया जाकर लाल स्याही से तरमीम की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 22.06.18 को खुले राजस्व लोक अदालत केम्प शार्दुलपुरा टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner